(60)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डॉ0 मधु खरे

सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 1053–एक/2010 – विरूद्ध आदेश दिनांक 27–03–2010– पारित व्दारा प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर – प्रकरण कमांक 3382–एक/2010

1– भॅवर सिंह पुत्र राय सिंह
2– नेपाल सिंह पुत्र करन सिंह
3– श्रीमती संपतवाई पत्नि स्व. करन सिंह
4– कालुसिंह पुत्र करन सिंह
सभी निवासी ग्राम खरड़िया तहसील
महिदपुर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश
5– घीसुलाल पुत्र रामाजी 6– सिरेमल पुत्र
धूलचन्द दोनों ग्राम लालगढ़ तहसील
महिदपुर जिला उज्जैन म0प्र0 ---आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा सक्षम प्राधिकारी
एंव अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन --- अनावेदक

(श्री अखलाक कुरेशी अभिभाषक – आवेदकगण)

आ दे श

(दिनांक 30 दिसम्बर 2015)

प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 382–एक/2010 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–03–2010 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत यह पुनरावलोकन आवेदन दिनांक 22–7–2010 को प्रस्तुत किया गया है।

2- प्रकरण का सारॉश यह है कि बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के न्यायालय में मृतक दीवान दूलेसिंह के विरूद्ध मध्य प्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम में निर्धारित पात्रता से अधिक भूमि धारण करने के कारण प्रकरण पंजीबद्ध हुआ । बंदोवस्त आयुक्त,म.प्र.ग्वालियर के न्यायालय से दिनांक 31-7-78 को प्रकरण अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जेन के यहॉ अंतरित होने पर मृतक दीवान दूलेसिंह के वारिसान के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ तथा हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 22-6-89 पारित किया गया तथा धारक के परिवार की पात्रता अनुसार 22.155 हैक्टर भूमि छोड़ते हुये शेष भूमि अतिशेष घोषित की गई। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में भूमिधारक एंव आपत्तिकर्ताओं व्दारा विभिन्न अपील की गई , जिनमें पारित आदेश दिनांक 28-5-94 तथा 20-9-96 से अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग का निरस्त किया गया तथा पुनः जांच एंव सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के यहॉ प्रकरण क्रमांक 01 अ-90 (बी-3)/ 1996-97 में पुनः जांच एंव सुनवाई करने के वाद आदेश दिनांक 20 जनवरी, 2010 पारित किया गया तथा धारकों के परिवार की पात्रतानुसार 22.155 हैक्टर भूमि छोड़ते हुये शेष भूमि अतिशेष घोषित की गई। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल ग्वालियर में अपील क्रमांक 382-एक/2010 होने पर आदेश दिनांक 27-03-2010 से अपील अस्वीकार करते हुये अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 20-1-10 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना गया। इसी आदेश के पुनरावलोकन हेतु यह प्रकरण है।

3/ पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने हेतु अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों पर

आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि बहस सुनने के पश्चात् 27-3-10 को आदेश पारित किया गया है जिसकी जानकारी 28-6-10 को हुई। तत्पश्चात् प्रार्थिया ने नकल का आवेदन ग्वालियर के अभिभाषक को पहुंचाया, जिन्होंने 1-7-10 को आवेदन देकर 3-7-10 को नकल प्राप्त कर डाक से भिजवाई। नकल प्राप्त होने पर अभिभाषक से संपर्क कर 22-7-10 को पुनरावलोकन आवेदन दिया गया है इसलिये विलम्ब क्षमा किया जाय।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर एंव अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में दिये गये विवरण पर विचार करने पर स्थिति यह है कि प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के समक्ष प्रकरण कमांक 382-एक/2010 अपील में आवेदक के अभिभाषक श्री अखलाक कुरेशी ने पेशी 26-3-2010 को ग्राह्यता पर एंव स्थगन पर तर्क प्रस्तुत किये हैं एंव प्रकरण में दूसरे दिन यानि 27-3-10 को आदेश पारित हुआ है। विचार योग्य है कोई भी आवेदक/अपीलांट जब किसी प्रकरण में ग्राह्यता के साथ ही स्थगन हेतु आवेदन देता है तथा तर्क प्रस्तुत करता है तो यह ज्ञात करने का प्रयास अवश्यक करता है कि उसके आवेदन के विषय में क्या निर्णय हुआ, परन्तु प्रकरण कमांक 382-एक/2010 अपील में पेशी 26-3-2010 को तर्क प्रस्तुत करने के वाद स्थगन प्राप्त हुआ अथवा नहीं - इसकी जानकारी प्राप्त नहीं करना आवेदकगण की उदासीनता एंव स्वयं् के अधिकारों के प्रति जागरूक न रहने का द्योतक है, जिसका अनुचित लाभ प्राप्त करने के आवेदकगण हकदार नहीं हैं। आदेश दिनांक 27-3-10 से दिनांक 28-6-10 की अवधि